

मूल-प्रति/दूसरी प्रति प्रदर्शित करने के लिये

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ज़िला भोपाल

प्ररूप "ख"

[नियम 6(2), नियम 6(5) और 8(2) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र



1. सम्मुचित प्राधिकारी प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1992 का 57) की धारा 19(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे नामित आनुबंधिक प्रशासक/केन्द्र/आनुबंधिक प्रधानमंत्री//आनुबंधिक/विलोक्ति/अल्ट्रा साउंड विलोक्ति/इमेजिंग केन्द्र को आनुबंधिक प्रशासक/प्रसवपूर्व निष्पत्र अधिनियम/प्रसवपूर्व जिला प्रशासक/प्रशासक/अल्ट्रासोनोग्राफी करने के प्रयोजनों के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन ...09.06.2020... को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर करता है।

2. यह रजिस्ट्रीकरण पूर्वोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए मंजूर किया गया है और उनका कोई उल्लंघन करने पर यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व निलम्बित या रद्द कर दिया जाएगा।

क. आनुबंधिक प्रशासक/केन्द्र/आनुबंधिक प्रयोगशाला/आनुबंधिक/विलोक्ति/अल्ट्रासाउंड विलोक्ति/इमेजिंग केन्द्र का नाम और पता

चिरायु डेंडिकल कॉलेज इण्ड हॉस्पिटल,

भटाबड़ी, निवर - बैरागढ़,

भोपाल - इन्डौर रोड, भोपाल.

ख. आनुबंधिक विलोक्ति के लिए अनुमोदित प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं अनाक्रमक :-

- (i) अल्ट्रासाउंड आक्रामक (ii) एम्बिओसेंटेसिस (iii) कोरिओनिक विलोक्ति वायोप्सी
(iv) फोइटोस्कोपी (v) फोइटल स्किन या आर्गन वायोप्सी (vi) कोर्डेसेंटेसिस
(vii) कोई अन्य

N.D.N - INV/AS/1/2015/V. No. B/Ch/2015/09/06/2015

ग. आनुबंधिक प्रयोगशाला के लिए अनुमोदित प्रसवपूर्व निदान परीक्षण :-

- (i) गुणसूत्री अध्ययन (ii) जैव रासायनिक अध्ययन (iii) आण्विक अध्ययन

घ. अल्ट्रासाउंड विलोक्ति/इमेजिंग केन्द्र के लिए (कोई अन्य प्रयोजन)

- ① Philips - HD 7 - S.No.: C 152100576
② Philips - HD 7 - S.No.: 1521100406
③ Philips - HD 3 - S.No.: B 17202300006740
④ SONOSCAPE - USL - S.No.: 16215021
⑤ SONOSCAPE - M:6 S.No.: 16235876

3. प्रयोग किए जा रहे उपस्कर का मॉडल और मैक्रोस्कोपी नम्बर :-
6. SONOCITE - Echo - 03 JSIK
7. SONOCITE - Echo - WK 25C9
8. SONOCITE - Echo - WK 244T
4. Philips - HD 5 S.No.: C 156150429

387 / 06 / 2015

Chief Medical & Health Officer

xx

xx

तक

5. पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र से लिखित रूप से अकथ (केवल नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र के लिए)

सक्षम प्राधिकारी वीसी शब्द पीछनडीटी शब्द कलेक्टर,

ज़िला-भोपाल द्वारा प्राधिकृत।

तारीख : 10.06.2015

सक्षम प्राधिकारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

ज़िला - भोपाल

इस प्रमाण - पत्र की दूसरी प्रति कारोबार के स्थान में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।